

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक:- मु०अ०(नि०)मु०से०यो०-453/2025 - 5553

पटना, दिनांक- 26-9-25

प्रेषक,

संजय कुमार, भा० प्र० से०
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:- मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103, उप शीर्ष-0122, विपत्र कोड-37-4515-00-103-0122-53-01-V के अन्तर्गत बिहार राज्य के पूर्वी चम्पारण, कैमूर, दरभंगा, रोहतास एवं पश्चिम चम्पारण जिला में (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 10 (दस) पुलों के निर्माण योजनाओं पर योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103, उप शीर्ष-0122, विपत्र कोड-37-4515-00-103-0122-53-01-V के अन्तर्गत बिहार राज्य के पूर्वी चम्पारण, कैमूर, दरभंगा, रोहतास एवं पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, सिकरहना-ढाका, भभुआ, पकड़ीदयाल, बेनीपुर, विक्रमगंज एवं बगहा-1 के अधीन (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 10 (दस) पुलों के निर्माण योजनाओं जिसकी कुल लम्बाई 246.620 मी० एवं निर्माण की कुल राशि 2695.521 लाख (छब्बीस करोड़ पंचानवे लाख बावन हजार एक सौ रुपये मात्र) है- हेतु योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

परिशिष्ट-1

क्र० सं०	कार्य प्रमंडल	प्रखंड	योजना का नाम	पुल की लम्बाई (मी० में)	निर्माण कार्य की राशि (लाख रु में)	अनुसूचित भेद की राशि (लाख रु में)	कंटेनरिटी की राशि (लाख रु में)	प्रशासनिक मद की राशि (लाख रु में)	भूमि अधिग्रहण की राशि (लाख रु में)	कुल राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bagaha-1	Bagaha-2	Singhaw se Abhawa sadak ke mohna gaon me pul nirman	20.200	179.030	0.490	1.790	4.028	0.000	185.338

(हस्ताक्षर)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

04

क्र० सं०	कार्य प्रमंडल	प्रखंड	योजना का नाम	पुल की लम्बाई (मी० में)	निर्माण कार्य की राशि (लाख रु० में)	अनुदान मद की राशि (लाख रु० में)	कंटेनर की राशि (लाख रु० में)	प्रशासनिक मद की राशि (लाख रु० में)	भूमि अधिग्रहण की राशि (लाख रु० में)	कुल राशि (लाख रु० में)
2	Bagaha-1	Bagaha-2	Bharchhi panchayat ke Dharaar se Singharw Jane wali sadak me pul nirman	17.110	293.530	2.060	2.935	6.604	0.000	305.130
3	Bagaha-1	Bagaha-2	Binbaliya se bodsar panchayat ke karmaha me pul nirman	34.220	395.362	2.530	3.950	8.889	0.000	410.731
4	Benipur	Baheri	Belahi ghat kamla nadi par pul ka nirman karya	51.330	473.401	1.724	4.734	10.652	0.000	490.511
5	Bhabhua	Bhabhua	Gram Panchayat dihra ke gram Machiyaon main Dalit Basit ke pas bhagad mein pul Nirman karya	30.140	306.297	1.520	3.063	6.892	0.000	317.772
6	Bikramganj	Dinara	Lahthan Rajwaha me Ramnagar gram ke samne pul nirman	12.000	256.093	3.275	2.560	5.762	0.000	267.690
7	Pakridayal	Pakridayal	Majholia se Nairangiya Ghat Road se Majholia Gaon ke Purab HL RCC Pul ka Nirman Karya	38.720	394.920	2.120	3.950	8.885	0.000	409.875
8	Sikharna (Dhaka)	Ghorasahan	Bhelwa to Nanaura path me Nahar par RCC bridge ka Nirman	20.200	175.300	0.490	1.753	3.944	0.000	181.487
9	Sikharna (Dhaka)	Ghorasahan	Nanaura se kaswa kadmama path main dhadkan chowk par RCC Pul nirman karya	11.350	61.289	1.062	0.613	1.379	0.000	64.343
10	Sikharna (Dhaka)	Ghorasahan	Jhaurokhar Baraukhor se Athmuhan Ke bich Nasi me RCC Pul Nirman	11.350	59.619	1.087	0.596	1.342	0.000	62.644
				246.620						2695.521

- इन योजनाओं को दो वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
- संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता इन योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
- योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
- इन योजनाओं का व्यय मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, विपत्र कोड-37-4515-00-103-0122-53-01-V के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।



5. इन योजनाओं के निर्माण की राशि, कटिजेंसी की राशि एवं भूमि अधिग्रहण की राशि का व्यय योजना शीर्ष 4515 एवं अनुरक्षण की राशि का व्यय योजना शीर्ष 3054 से भारित होगा।
6. मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, विपत्र कोड-37-4515-00-103-0122-53-01-V के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट उपबंध की राशि 600 करोड़ रुपये एवं प्रथम अनुपुरक की राशि 5.00 करोड़ अर्थात् कुल 605.00 करोड़ रुपये बजटीय उपबंध प्राप्त है तथा इसी वित्तीय वर्ष में लोक वित्त समिति द्वारा दिनांक 05.05.2025 को इस योजना हेतु कुल 3200 करोड़ रुपये का Bank Of Sanction (BOS) प्राप्त है।
7. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए संबंधित कार्य अंचल के संबंधित अधीक्षण अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
8. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
9. इन योजनाओं की योजनावार स्वीकृति समीक्षा प्राधिकार विभागीय स्थायी वित्त समिति के अनुशंसोपरांत अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा संचिका संख्या मु०अ०(नि०)मु०से०यो०-453/2025 के पृष्ठ संख्या 14/टि० पर प्राप्त है।
10. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या मु०अ०(नि०)मु०से०यो०-453/2025 के पृष्ठ संख्या-21/टि० पर दिनांक 26.9.25 को प्राप्त है।
11. ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।
12. संबंधित कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/ विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्यय करेंगे।
13. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
15. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
16. संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका 17 के आलोक में स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।
17. संबंधित कार्यपालक अभियंता विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर STA के Technical Vetting के उपरांत ही उच्च स्तरीय पुलों की प्रावैधिक स्वीकृति कराना सुनिश्चित करेंगे।
18. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य

रूप से किया जाएगा एवं कार्यो को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकारी भी उत्तरदायी माने जाएंगे।

19. इन योजनाओं हेतु वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक 03.12.2024 के कंडिका 10 के आलोक में राशि की विमुक्ति उदव्यय/वजट उपबंध के पश्चात् ही की जा सकेगी।

विश्वासभाजन

 26/9/25

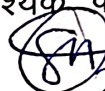
(संजय कुमार)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- मु०अ०(नि०)मु०से०यो०-453/2025 5553

/पटना, दिनांक- 26/9/25

प्रतिलिपि:- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 26/9/25
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- मु०अ०(नि०)मु०से०यो०-453/2025 5553

/पटना, दिनांक- 26/9/25

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 26/9/25
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- मु०अ०(नि०)मु०से०यो०-453/2025 - 5553

/पटना, दिनांक- 26/9/25

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता (निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण), ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 26/9/25
संयुक्त सचिव